मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 15 /09/2022

क्र. एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स गोकलदासएक्सपोर्टस अचारपुरा प्रायवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रू. 98 करोड़ के पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा, भोपाल में दो चरणों में रेडीमेड गारमेंट्स इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP22919) हेतु शासन आदेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. **भूमि आवंटन में रियायत-** इकाई को औ. क्षे. अचारपुरा में पूर्व में आवंटित भूमि की निरंतरता में अतिरिक्त 2 एकड़ भूमि, तत्समय उद्योग स्थापना हेतु आवंटित भूमि की दर पर, प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवास की स्थापना हेतु आवंटित की जाये।

2. कम्पनी द्वारा परियोजना हेतु आवंटित भूमि पर भविष्य में रेडिमेड गारमेंट के अतिरिक्त टेक्सटाईल उत्पाद यथा: यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स, टेक्नीकल टेक्सटाईल एवं अन्य औद्योगिक उत्पाद भी निर्मित करने की अनुमति प्रदान की जाये। यहां स्पष्ट किया जाता है कि यार्न, फैब्रिक अथवा अन्य कोई भी उत्पाद परिधान की श्रेणी में आने की शर्त पर ही इकाई को पूर्व शासन आदेशों एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह दि. 16.06.2021 एवं एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह दि. 14.02.2022 द्वारा स्वीकृत सुविधाएं पात्रता अनुसार प्रदान की जाये।

3. इकाई को पूर्व शासनादेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति सहायता हेतु 5 वर्ष की गणना, इकाई द्वारा कर्मचारियों का प्रशिक्षण आरंभ करने की दिनांक से, जो कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 3 माह पूर्व से अधिक नहीं होगी, की जाती है।

4. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - किसी क्लेम वर्ष विशेष हेतु विक्रय के प्रतिशत की गणना के लिये वर्षवार लक्षित टर्नओवर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-

वित्तीय वर्ष	वर्षवार टर्नओवर हेतु निर्धारित राशि (रू. करोड़ में)
प्रथम	75
द्वितीय	125
तृतीय	175
चतुर्थ	225
पंचम	275
षष्ठम	300
सप्तम	300

इकाई को शासन आदेश एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह दिनांक 14.02.2022 द्वारा स्वीकृत निवेश प्रोत्साहन सहायता 40 प्रतिशत की दर से 7 वार्षिक किश्तों में टर्नओवर के सत्यापन उपरांत निम्नानुसार देय होगी-

क्लेम वर्ष में लक्षित टर्नओवर के विरूद्ध विक्रय का प्रतिशत	देय सहायता प्रतिवर्ष
80% या इससे अधिक	100%
70% - 79%	90%
60% - 69%	75%
50% - 59%	60%
50% से कम	निरंक

निरंतर ....

5. इकाई के परिप्रेक्ष्य में जारी शासन आदेश एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह दि. 16.06.2021 के बिंदु क्र. 6 में उल्लेखित घटकों को निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में भी शामिल किया जाये।

6. **सुविधाओं की अधिकतम सीमा-** इकाई को स्वीकृत समस्त सुविधाएं बिना किसी अधिकतम सीमा के प्राप्त हो सकेगी।

7. विभागीय आदेश क्रमांक एफ16-15/2021/ए-ग्यारह दिनांक 16.06.2021 एवं एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह दिनांक 14.02.2022 के अनुसार स्वीकृत शेष सुविधायें यथावत रहेंगी।

8. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 16/06/2021 से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 15 /09/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला - भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स गोकलदासएक्सपोर्टस अचारपुरा प्रायवेट लिमिटेड, No. 25, 2nd cross, 3rd main, Yeshwantpur Industrial Suburb, Bengaluru, - 560022!

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग